न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
40/2019	दावा 88 RTA व धारा 136 LRA	18.10.2019	23.03.2020

रामलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार डुडी वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी गांव गाजसर तहसील चूरू का निवासी है। वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 107, 222, 253 तादादी क्रमशः 7.8408 हैक्टेयर, 7.3855 हैक्टेयर, 17.7176 हैक्टेयर कुल किता 3 की कुल तादादी 32.9439 हैक्टेयर रोही गाजसर तहसील चूरू में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उपर वर्णित विवादित वादगत कृषि भूमि है। विवादित वादगत कृषि भूमि में वादी ा नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट नि. गाजसर अंति है जो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लिपिकीय गलती व गफलत के कारण से अंकित कर दिया गया है जबकि वादी का असली व सही नाम रामलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट नि. गाजसर तह. चूरू है। रामलाल के नाम से ही आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, राशन कार्ड, पासपोर्ट भारत सरकार आदि बने हुए हैं। वादी को समाज में, गांव में, घर में, रिश्तेदारों में रामलाल के नाम से ही जाना पहचाना जाता है व रामलाल नाम से ही पुकारा जाता है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी की उक्त कृषि भूमि पर की जाने वाली फसलों में खराबा होने से होने वाली क्षति के फलस्वरूप वादी को सरकार से मिलने वाले मुआवजा से वादी वंचित हो रहा है। फसल की बीमा वगैरह कराने में कठिनाईयां हो रही है व उक्त कृषि भूमि बाबत मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रहा है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने गलत नाम को दुरूस्त करवाये। विवादित वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामूराम अंकित कर दिया गया जो एक लिपिकीय गलती रही है, इसके अलावा शेष इन्द्राज सही हैं। वादी ने प्रतिवादी को इस हेतु कई बार उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम रामूराम के स्थान पर रामलाल अंकित किया जावे। वादी द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में ऐसा करने के लिये निवेदन किया गया था, पहले तो प्रतिवादी ने कहा कि देखेंगे, करेंगे मगर आखिर में दिनांक 08.10.19 को ऐसा करने

से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। वादी वादगत विवादित कृषि भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार है इसलिये इस दावा का आधार प्राप्त है व प्रतिवादी द्वारा की गई स्पष्ट इन्कारी तिथि से इस दावा के प्रति कारण प्राप्त है। विवादित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी के पावर व पजेशन में है वादी का दावा स्वीकार किये जाने पर मुताबिक निर्णय के कार्यवाही प्रतिवादी के द्वारा प्रतिवादी के मार्फत होनी है। इसलि प्रतिवादी को पक्षकार दावा बनाया गया है। चूंकि प्रतिवादी के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहने से प्रतिवादी को बिना 80 सीपीसी का नोटिस दिये यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए इस दावा के प्रति श्रीमान् जी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादी की ओर से दावा पेश कर अर्ज है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादगत कृषि भूमियों ख.नं. 107, 222, 253 तादादी क्रमशः 7.8408 हैक्टेयर, 7.3855 हैक्टेयर, 17.7176 हैक्टेयर कुल किता 3 की कुल तादादी 32.9439 हैक्टेयर रोही गाजसर तहसील चूरू के राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय गलती हुई है, को दुरूस्त करते हुए वादी खातेदार का नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट नि. गाजसर के स्थान पर रामलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट नि. गाजसर तह. चूरू अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार, चूरू के नाम से फरमावें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसमें सशपथ अंकित किया कि वादगत कृषि भूमि ग्राम गाजसर में स्थित है जो मेरी संयुक्त खातेदारी की है जिसमें मेरा 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जब मेरे पिता चिमनाराम का स्वर्गवास हुआ तो विरासतन इन्तकाल में चिमनाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी गाजसर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर गया जो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लिपिकीय भूल रही है। उक्त कृषि भूमि बाबत किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद जेरकार नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश है। विवादित कृषि भूमि में वादी का हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रीको चूरू के यहां रहन है मैं वादी उक्त बैंक से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र लाकर पेश कर दूंगा कि अगर वादी का नाम रामूराम के स्थान पर रामलाल अंकित कर दिया जावे तो बैंक को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 विशेष आवंटन सीलिग अधिनियम से प्रभावित नहीं है न ही गैर खातेदारी की है। उक्त कृषि भूमि मुझ वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसकी किस्म में मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करवाउंगा। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 4 मैंने अपनी निजी जानकारी के आधार पर सही सही दर्ज करवाई हैं। सत्य बयानी में ईश्वर मेरी मदद करें।

उपस्थित पक्षकारों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादी का नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम रामलाल पुत्र चिमनाराम है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उसे केसीसी, कृषि मुआवजा व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य

पेश नहीं कर अनापत्ति प्रकट की है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट की प्रतियां एवं शपथ पत्र पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम रामलाल है। इस कृषि भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र मैं पेश कर दूंगा। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक रामूराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर रामलाल पुत्र चिमनाराम अंकित करने का आदेश फरमाया जावे। पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ख.नं. 107, 222, 253 कुल तादादी 32.9439 हैक्टेयर रोही ग्राम गाजसर में अन्य सह खातेदारों के साथ वादी का नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम 1/6 हिस्सा जाति जाट निवासी गाजसर खातेदार राहिन 1/6 हिस्सा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिको चूरू दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के आधार कार्ड सं. 80689041012, मतदाता पहचान पत्र सं. एच.डी.सी /1329341, राशन कार्ड सं. 007051900069, पासपोर्ट संख्या एम 366586 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम रामलाल पुत्र चिमनाराम अंकित है। वादी ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया है जिसमें उसमें सशपथ अंकित किया है कि उसके दावा कथनों में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार रहेगा। वादी ने वादगत कृषि भूमि में भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में न तो जवाबदावा पेश किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है तथा बहस में कथन किया है कि यदि दावा वादी स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 107, 222, 253 कुल तादादी 32.9439 हैक्टेयर रोही ग्राम गाजसर में वादी का नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम 1/6 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने आधार कार्ड सं. 80689041012, मतदाता पहचान पत्र सं. एच. डी.सी /1329341, राशन कार्ड सं. 007051900069, पासपोर्ट संख्या एम 366586 आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का सही नाम रामलाल पुत्र चिमनाराम अंकित है। दावा में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामूराम गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में सही नाम रामलाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से अन्य सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। ऋणदाता बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने का वादी ने वचन दिया है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 107, 222, 253 तादादी क्रमशः 7.8408 हैक्टेयर, 7.3855 हैक्टेयर, 17.7176 हैक्टेयर कुल किता 3 की कुल तादादी 32.9439 हैक्टेयर रोही गाजसर तहसील चूरू में वादी का नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम 1/6 हिस्सा जाति जाट निवासी गाजसर खातेदार के स्थान पर रामलाल पुत्र चिमनाराम 1/6 हिस्सा जाति जाट निवासी गाजसर खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा ऋणदाता बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रीको चूरू का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

रामलाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट
मुकदमा नं. 40 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्रकुमार डुडी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 107, 222, 253 तादादी क्रमशः 7.8408 हैक्टेयर, 7.3855 हैक्टेयर, 17.7176 हैक्टेयर कुल किता 3 की कुल तादादी 32.9439 हैक्टेयर रोही गाजसर तहसील चूरू में वादी का नाम रामूराम पुत्र चिमनाराम 1/6 हिस्सा जाति जाट निवासी गाजसर खातेदार के स्थान पर रामलाल पुत्र चिमनाराम 1/6 हिस्सा जाति जाट निवासी गाजसर खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा ऋणदाता बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रीको चूरू का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह मार्च सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू